

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /3690 /2023


दिनांक 07.12.2023

श्री आदित्य शर्मा (RJ01448), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला) को दिनांक 04.10.2023 से 08.10.2023 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 06.12.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/06/2021/7937

दिनांक 07.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 7401 दिनांक 04.11.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री आदित्य शर्मा (RJ01448), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला)।


सहायक रजिस्ट्रार